

आवश्यक नं. २००५ ग.

भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपरखंड (i) में प्रकाशित।

- 92 -

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, तारीख: २५ सितम्बर, 2005

अधिसूचना

साँ० का० नि० 347 केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, -

(1) क्रम संख्यांक 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(15) सशास्त्र सीमा बल ।"

(2) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

"(19) विशेष संरक्षा व्युप ।

(20) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।

(21) सीमा सङ्कर विकास बोर्ड ।

(22) वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत ।"

[फा. सं. 34012/12(एस)/2005-स्था.(बी.)]

राकेश मल्होत्रा

(राकेश मल्होत्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी

नई दिल्ली।